फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ

नबीशेर बनाम **अलीशेर**

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.एक्ट. नम्बर 127 सन–2020

तरीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
30.09.2020	प्रार्थी / सायल की और से जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र पेश होने पर एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र सायल अभिभाषक सुनी गई व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष में प्रतीत होता है अतः अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण / गैरसायल 1 इस आश्य की जारी की जाती है कि रोही मौजा 26 एनटीआर के खाता संख्या 104 / 95 की कुल 3.7950हैक भूमि की गैरसायल आगामी पेशी तक रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे। रास्ते खाला पर स्थगन आदेश लागू नही होगा। यदि इस सम्बध में अप्रार्थीगण को कोई एतराज हो तो निधार्रित तिथि पर न्यायालय मे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे आगामी तिथि को अस्थायइी निषेधाज्ञा बढाने का निर्णय सुनने के उपरान्त लिया जावेगा। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावें अप्रार्थीगण के रजिस्टर सम्मन जारी किये जाकर पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक 20.11.2020 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर	
20/11/20	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। [illegible] पत्रावली दि० 24.12.20 को पेश हो।	
24/12/20	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त हैं। [illegible] पत्रावली दि० 10.2.21 को पेश हो।	
10/2/21	पत्रावली पेश हुई श्रीमान् पी.ओ. साहब अन्य कार्यों में व्यस्त पत्रावली दि० 23.4.21 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

24/2/21 वकील वादी ने निवेदन पत्र पेश। सुना वकील वादी। ने निवेदन किया कि प्रतिवादी से राजीनामा हो गया है इसलिये प्रार्थना पत्र वादी वापस चाहते खारिज कराना है।

आवेदन स्वीकार है। अतः वाद वादी वापस लेने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner